(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारणों सहित उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि विभिन्न विभागों में समन्वय नहीं रहने के कारण ऐसी विलंबित योजनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो उन विभागों के नाम क्या हैं और इन योजनाओं के विलंब के लिए जिम्मेदार कारक कौन-कौन से हैं;

(ङ) इन योजनाओं को समय पर चलाने हेतु सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं और सरकार को इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ):** (क) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार केंद्रीय क्षेत्र की 20 करोड़ रुपए और उससे अधिक की लागत वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं की कुल संख्या तथा विगत चार वर्षों की अवधि में विलंब से चल रही परियोजनाओं की संख्या निम्नलिखित है:

| | | दिनांक | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.4.93 | 1.4.94 | 1.4.95 | 1.4.96 |
| 1. | परियोजनाओं की कुल सं॰ | 352 | 371 | 370 | 401 |
| 2. | अद्यतन अनुमोदित समयावधि के संदर्भ में विलंबित परियोजनाएं | 188 | 200 | 214 | 199 |
| 3. | कुल का प्रतिशत | 53.41 | 53.91 | 57.84 | 49.63 |

(ख) से (घ) निधियों की कमी, भूमि अधिग्रहण में विलंब, ठेके पर कार्य सौंपने में देरी और उपकरणों के सप्लायरों और ठेकेदारों द्वारा की जाने वाली देरी आदि जैसी विभिन्न समस्याओं के कारण परियोजनाएं विलंबित हो जाती हैं।

(ङ) परियोजनाओं के क्रियान्वयन की गति में सुधार लाने के वास्ते आम तौर पर किए जाने वाले उपाय विवरण के रूप में संलग्न हैं।

## विवरण

**परियोजना की वास्तविक लागत का आकलन तैयार करने और उसके क्रियान्वयन को सुचारू बनाने के वास्ते सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय**

(1) चरण-1 में पर्याप्त तैयारी, पर्यावरणीय तथा अन्य विकासी पत्र और आधारी संरचना संबंधी आयोजना सुनिश्चित करने हेतु तथा चरण-2 में क्रियान्वयन के वास्ते किसी परियोजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करने से पहले परियोजना का द्वि-स्तरीय अनुमोदन।

(2) विभिन्न स्तरों पर कठिनाइयों का पता लगाने तथा उनके संबंध में उपचारात्मक कदम उठाने के लिए परियोजनाओं का नियमित अंतरालों पर समुचित प्रबोधन।

(3) परियोजना प्राधिकरणों और प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रगति की गहरी समीक्षा।

(4) ठेका संबंधी कार्यों को शीघ्र अंतिम रूप देने, भूमि अधिग्रह तथा अन्य समस्याओं के सामाधान के लिए कार्यदलों/उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन।

(5) विलंब न्यूनतम हो सके, इसके लिए संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों एवं परियोजना प्राधिकरणों द्वारा राज्य सरकार, उपकरणों के सप्लायरों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं तथा अन्य संबद्ध अभिकरणों के साथ गहन अनुवर्ती कार्रवाई।

(6) अंतर-मंत्रालयीय समन्वय।

### सौराष्ट्र के पिछड़े जिलों का विकास

2808. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सौराष्ट्र के कच्छ, जामनगर, जूनागढ़, सुरेन्द्रनगर, अमरेली, भावनगर और राजकोट जिले

सामाजिक-आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाया है/विश्लेषण किया है;

(ग) उनके विकास को बढ़ाने के लिए कौन सी विशिष्ट योजना बनायी गयी है; और

(घ) ऐसी योजनाओं को कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार अलघ):** (क) से (घ) किसी क्षेत्र की आयोजना एवं विकास तथा उस उद्देश्य हेतु निधियों का आवंटन प्राथमिक रूप से राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। योजना आयोग ने पिछड़े जिलों की घोषणा हेतु स्वयं कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किया है। हालांकि, केंद्र सरकार, इस संबंध में गुजरात सहित अन्य राज्य सरकारों के प्रयासों को जनजातीय उपयोजना, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, रोजगार आश्वासन स्कीम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि के माध्यम से पूरा कर रही है।

**Annual Plans of Uttar Pradesh**

2809. SHRI RAM GOPAL YADAV: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) the financial size of Annual Plans of Uttar Pradesh, as approved by the Planning Commission during the last six years; and

(b) the performance in terms of financial targets, year-wise?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) and (b) The financial size of Annual Plans of Uttar Pradesh, as approved by the Planning Commission during the last 6 years and the performance in terms of financial expenditure, year-wise are as follows:

(Rs. crores)

| Annual Plan | At current prices | |
|---|---|---|
| | Outlay | Expenditure |
| 1992-93 | 3853.00 | 3715.20 |
| 1993-94 | 4050.00 | 3249.58 |
| 1994-95 | 4563.00 | 3870.31 |
| 1995-96 | 5496.625 | 4027.40* |
| 1996-97 | 6549.03 | 5481.54+ |
| 1997-98 | 7080.00 | ——— |

*Anticipated + Estimated

**Total employment by the turn of the century in Gujarat**

2810. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government have taken any steps to achieve near full employment in Gujarat by the turn of the century;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps taken by Government so far, for generating employment for all in the state?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) to (c) The approach to the Ninth Plan envisages priority to productive employment which will be generated in the growth process itself by concentrating on sectors, sub-sectors and technologies which are labour intensive, in regions characterissed by higher rates of unemployment and under-employment. In this context, the Ninth Plan will implement a National Employment Assurance Scheme. The benefit of all the employemnt generating schemes will automatically flow to all the States including Gujarat. The major poverty alleviation programmes which